

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019-20/571 दिनांक : 07/11/19


समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्त पोषित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्रों को विद्यार्थियों द्वारा भरने एवं जांच आदि की कार्यवाही बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मेधावी छात्रा स्कूटी, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 23(16)लेखा/आकाशि/छा.स्कू.यो./2019-20/504 दिनांक-16.10.19 द्वारा 21.10.19 से 20.11.19 तक आमंत्रित किये गये थे।

राज्य में चल रही विभिन्न स्कूटी योजनाओं को इकजाई कर "कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना" की राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषणा की गई। जिसके क्रम में वित्त विभाग से अनुमोदित संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग की अ.शा. टीप पत्रांक प.3 (10) वित्त/व्यय-1/2019 दिनांक-18.10.19 के संदर्भ में शासन उपसचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक प.1(4) शिक्षा-1/2019 दिनांक-23.10.19 के द्वारा उक्त योजना के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोडल विभाग बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कॉमन पोर्टल विकसित करवाया जावेगा। तदोपरान्त ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेगे।


उक्त क्रम में मेधावी छात्रा स्कूटी, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2019-20 हेतु ऑनलाइन आवेदन को विद्यार्थियों द्वारा भरने एवं जांच आदि की कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से बंद की जाती है।


(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019-20/572 दिनांक : 07/11/19
प्रतिलिपि-प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।


(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार